विचार बिन्दु

कुछ महान करने के लिए मुसीबतों का सामना करने से घबराइए मत। –जॉन डी. रॉकफेलर

राजस्थान युवा नीति 2026: भविष्य की पीढ़ी के लिए एक रोडमैप

राजस्थान सरकार ने जनवरी 2026 में राजस्थान युवा नीति 2026 लागू की है, जो राज्य के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 2.25 से 2.30 करोड़ युवाओं राज्य की कुल आबादी का 27.2 प्रतिशत के सर्वांगीण विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। यह नीति पिछली युवा नीति की जगह लेती है और बदलते जनसांख्यिकीय रुझानों, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और तकनीकी क्रांति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तैयार इस नीति का मूल उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी पाने तक सीमित न रखकर उन्हें रोजगार प्रदाता, नेतृत्वकर्ता और जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना है।

नीति आठ प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है शिक्षा और कौशल, रोजगार और उद्यमिता, स्वास्थ्य और कल्याण, सामाजिक समावेश, खेल और संस्कृति, पर्यावरण और स्थिरता, डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता, और संस्थागत शासन। इन स्तंभों के माध्यम से युवाओं को आर्थिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तन की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर, सक्षम और स्वस्थ बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, करियर परामर्श और उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देती है। कौशल आधारित और समावेशी शिक्षा मॉडल लागू किए जाएंगे, जिससे युवा भविष्य के रोजगार बाजारों के लिए तैयार हो सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल टूल्स जैसी उभरती तकनीकों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा, ताकि युवा बदलते दौर की मांगों के अनुरूप अपने कौशल को अपग्रेड कर सकें। नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारत की स्किल इंडिया मिशन के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को उद्योग-तैयार बनाना है।

रोजगार और उद्यमिता के स्तंभ के तहत नीति का स्पष्ट लक्ष्य मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना है। इसके लिए कौशल वर्धन और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि युवा नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाले बनें। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत एक लाख युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और मार्जिन मनी ग्रांट शामिल है। यह योजना 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए है और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन (पोर्टल) है, जिससे ग्रामीण और वंचित वर्ग के युवा भी आसानी से लाभ उठा सकें।

स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में नीति युवा अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, और लैंगिक हिंसा की रोकथाम पर विशेष ध्यान देती है। युवाओं की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष क्लिनिक और परामर्श सेवाएं स्थापित की जाएंगी। खेल और संस्कृति के स्तंभ के तहत खेलों का विस्तार, युवा कलाकारों का संवर्धन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि युवा अपनी रचनात्मक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकें।

> **राजस्थान युवा नीति 2026 केवल एक कागजी दस्तावेज नहीं है; यह राज्य के युवाओं के सपनों, आकांक्षाओं और क्षमताओं को साकार करने का एक जीवंत ढांचा है। यह नीति युवाओं को केवल लाभार्थी न मानकर उन्हें विकास प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार और नेता के रूप में देखती है। जब युवा शिक्षित, कौशल-संपन्न, उद्यमी, सामाजिक रूप से संवेदनशील और पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे, तभी राजस्थान सच्चे अर्थों में विकसित बनेगा।**

सामाजिक समावेश के प्रावधानों के तहत नीति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और महिला युवाओं पर विशेष ध्यान देती है, ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सकें। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, सामाजिक उद्यमिता और स्वयंसेवा को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। युवाओं को पंचायत स्तर से लेकर नगरपालिका और जिला परिषदों तक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, जिससे वे जिम्मेदार नागरिक और भविष्य के नेता बन सकें।

पर्यावरण और स्थिरता के स्तंभ में युवाओं को जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता के तहत युवाओं को डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एआई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे डिजिटल अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

नीति के कार्यान्वयन के लिए एक तीन-स्तरीय संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है, जो राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर युवा विकास कार्यक्रमों की निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करेगा। राजस्थान रोजगार पोर्टल (ईईएमएस 2.0) का निर्माण किया जा रहा है, जो रोजगार कार्यालयों को एकीकृत करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और स्टार्टअप सहायता से जोड़ेगा।

राजस्थान बजट 2026-27 में इस नीति के समर्थन के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। 500 अतिरिक्त स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी, जिसके लिए 51.10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। स्कूल टू वर्क कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और प्रत्येक जिले में एक स्कूल को उन्नत व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक संस्थान के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे उद्यमिता और रोजगार-उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा मिले।

यह नीति राजस्थान के पांच वर्षों में 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र के रोजगार के लक्ष्य की आधारशिला है। राज्य सरकार ने अब तक 92 हजार सरकारी नौकरियां दी हैं और 1.53 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं, जबकि 3.32 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और लगभग दो लाख युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर मिले हैं। आईस्टार्ट राजस्थान के माध्यम से 7,200 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आया है और 42,500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं।

राजस्थान युवा नीति 2026 केवल एक कागजी दस्तावेज नहीं है; यह राज्य के युवाओं के सपनों, आकांक्षाओं और क्षमताओं को साकार करने का एक जीवंत ढांचा है। यह नीति युवाओं को केवल लाभार्थी न मानकर उन्हें विकास प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार और नेता के रूप में देखती है। जब युवा शिक्षित, कौशल-संपन्न, उद्यमी, सामाजिक रूप से संवेदनशील और पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे, तभी राजस्थान सच्चे अर्थों में विकसित बनेगा।

नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि युवा इसके अवसरों का कितना सक्रिय उपयोग करते हैं, कितना नवाचार करते हैं, कितना जोखिम उठाते हैं और अपने समुदायों में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक कैसे बनते हैं। राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल है, बशर्ते उसके युवा अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें और इस नीति को एक सफल आंदोलन बनाएं।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

राशिफल शुक्रवार 25 सितम्बर, 2026

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, चतुरदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत-2083, शतभिषा नक्षत्र दिन 11:23 तक, शूल योग दिन 2:51 तक, गर करण दिन 11:13 तक, चन्द्रमा शनिवार प्रातः 5:33 से मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति– सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज रवियोग दिन 11:23 तक है। भद्रा रात्रि 11:07 से आरम्भ होगी। आज अनन्त चतुरदशी व्रत, पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया– चर सूर्योदय से 7:50 तक, लाभ अमृत 7:50 से 10:49 तक, शुभ 12:19 से 1:48 तक, चर 4:47 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल– 10:30 से 12:00 तक, सूर्योदय 6:20, सूर्यास्त 6:17

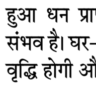

मेष

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। घर-परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

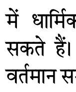

सिंह

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

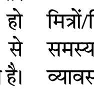

धनु

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

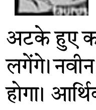

वृष

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

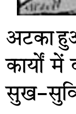

कन्या

आर्थिक विवादों का निपटारा हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

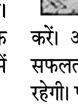

मकर

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

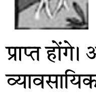

मिथुन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

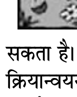

तुला

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

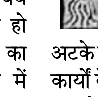

कुंभ

व्यावसायिक विवादों का निपटारा हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता

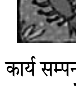

वृश्चिक

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

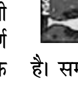

मीन

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वोट के लिए लैपटॉप, टैबलेट स्मार्टफोन और स्क्रीन – चुनावी रेवड़ियों का बढ़ता ख़तरा

प्रो. अशोक कुमार

विश्व की समकालीन शिक्षा प्रणालियाँ इस समय एक ऐतिहासिक दोराहे पर खड़ी हैं। एक ओर कृत्रिम बुद्धिमत्त, टैबलेट्स और डिजिटल क्लासरूम्स के माध्यम से शिक्षा के पूर्ण कायाकल्प के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मूल्यांकन दर्शा रहे हैं कि दुनिया भर में विद्यार्थियों की बुनियादी सोचने, समझने और गणना करने की क्षमता में अभूतपूर्व गिरावट आई है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा आयोजित 'प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट' (पीसा 2025) की रिपोर्ट्स ने इस वैश्विक विसंगति को स्पष्ट आंकड़ों के साथ नीति-निर्माताओं के सामने रखा है।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिए-जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के तहत 21वीं सदी के कौशलों का लक्ष्य रखा गया है और दूसरी तरफ चुनावी राजनीति में मुफ्त गैजेट्स बांटने की होड़ मची है-इन्हीं के निष्कर्ष केवल आंकड़े नहीं, बल्कि आत्ममंथन की एक अनिवार्य चेतावनी हैं।

पीसा 2025 विश्व भर के 15 वर्षीय विद्यार्थियों का मानकीकृत मूल्यांकन है, जो यह नहीं मापता कि छात्र ने अपनी पाठ्यपुस्तक से कितना रटा है, बल्कि यह परखता है कि क्या वह अपने अर्जित ज्ञान को वास्तविक जीवन की अपरिचित समस्याओं में लागू कर सकता है। यह परीक्षण मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर आधारित होता है: पठन-समझ, गणितीय तार्किकता, और वैज्ञानिक चिंतन!

भारत ने वर्ष 2009 में पहली बार प्रायोगिक तौर पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के माध्यम से पीसा में भाग लिया था। उस चक्र में 74 प्रतिभागी क्षेत्रों में भारत का स्थान नीचे से दूसरा (73वां) रहा, जहाँ केवल किर्गिस्तान भारत से पीछे था। इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय नीति-निर्माताओं ने व्यवस्थागत सुधार करने के बजाय 'सांस्कृतिक भिन्नता' और भाषा की बाधा का तर्क देकर पीसा से दूरी बना ली। भारत की चुनावी राजनीति में पिछले डेढ़ दशक से विद्यार्थियों को लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन बांटना राजनीतिक दलों का सबसे पसंदीदा लोकलुभावन वादा बन चुका है। जनता के टैक्स के हजारों करोड़ रुपये इन उपकरणों की खरीद पर बहा दिए जाते हैं और मंचों से चमकते हुए डिब्बों को बांटते हुए तस्वीरें अखबारों के पहले पन्ने की शोभा बनती हैं। किंतु हाल ही में जारी 'प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट' (पीसा 2025) की वैश्विक रिपोर्ट ने इस पूरी लोकलुभावन रणनीति के शैक्षणिक खोखलेपन को बेनकाब कर दिया है। यह रिपोर्ट स्पष्ट प्रमाण देती है कि बिना सुदृढ़ शैक्षणिक संरचना और मार्गदर्शित पद्धति के विद्यार्थियों के हाथों में अनियंत्रित स्क्रीन थमा देना शिक्षा को सुधारने के बजाय उनकी बुनियादी सीखने की क्षमता को पंगु बना रहा है। राजनीतिक दृष्टि से हार्डवेयर बांटना सबसे सरल काम है। किसी सरकारी स्कूल में गणित और विज्ञान के योग्य शिक्षकों की भर्ती करना, पुस्तकालय बनाना, प्रयोगशालाओं को जीवित करना या पाठ्यक्रम को प्रासंगिक बनाना एक दीर्घकालिक, जटिल और अदृश्य प्रक्रिया है। इसके विपरीत, लाखों छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट थमा देना एक तात्कालिक दृश्य तैयार करता है जो सीधे वोट बैंक को प्रभावित करता है।

लेकिन यह चमक उस कड़वी हकीकत को छिपा नहीं पाती कि आज भी ग्रामीण व अर्ध-शहरी विद्यालयों में बिजली, इंटरनेट और प्रशिक्षित शिक्षकों का घोर अभाव है। ऐसे में बिना किसी शैक्षणिक विजन के बांटे गए गैजेट्स का वास्तविक उपयोग पढ़ाई के लिए कितना होता है और मनोरंजन के लिए कितना, यह किसी से छिपा नहीं है। "प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट" (पीसा 2025) के आंकड़ों ने वैश्विक स्तर पर यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा में अनियंत्रित तकनीक एक वरदान नहीं, बल्कि संज्ञानात्मक आपदा बन रही है:–

पठन एवं समझ का पतन: रिपोर्ट के अनुसार, जिन देशों में छात्रों का स्क्रीन-टाइम अत्यधिक बढ़ा, वहाँ बच्चों की गहरी समझ और एकाग्रता में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई। स्क्रीन पर पढ़ाई करने से छात्र गंभीर पठन के बजाय केवल सूचनाओं को सरसरी तौर पर स्कैन करने के आदी हो रहे हैं।

गणितीय सोच और तार्किकता का ह्रास: छोटी-छोटी गणनाओं और सूत्रों के लिए उपकरणों पर निर्भर रहने से छात्रों की समस्या-समाधान की आंतरिक क्षमता कुंद हुई है। "आर्थिक सहयोग और विकास संगठन" इसे संक्षेप में ओईसीडी के अनुसार देशों के गणित स्कोर में आई गिरावट का सीधा संबंध उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता से पाया गया।

भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी बड़ी संख्या में हैं, यह समस्या और अधिक विकराल रूप ले लेती है। प्रथम, जब छात्र बुनियादी भाषा और प्रारंभिक अंकगणित में ही कमजोर हो, तो उसे सीधे टैबलेट या लैपटॉप सौंप देने से वह तकनीक का उपयोग ज्ञानार्जन के लिए नहीं कर पाता। शिक्षा किसी इलेक्ट्रॉनिक चिप या प्लास्टिक के खोल से नहीं आती; वह शिक्षक और छात्र के बीच के बौद्धिक संवाद, पुस्तकों के गंभीर अध्ययन और निरंतर मानसिक संघर्ष से उपजती है। यदि भारत को अपनी युवा आबादी को वास्तव में सशक्त बनाना है, तो नीतिगत प्राथमिकताओं को बदलना होगा:

व्यक्तिगत वितरण के स्थान पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण: छात्रों को घर ले जाने के लिए मुफ्त व्यक्तिगत उपकरण बांटने के बजाय विद्यालयों में सुसज्जित, शिक्षक-नियंत्रित कंप्यूटर लैब और आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए। शिक्षा पहले, सिलिकॉन बाद में किसी भी उपकरण को कक्षा में लाने से पहले शिक्षकों को उसका शैक्षणिक उपयोग सिखाया जाए।

पुस्तकालयों और खेल मैदानों का पुनरुद्धार: स्क्रीन की आभासी दुनिया से बच्चों को निकालकर वास्तविक दुनिया के अनुभवों, किताबों के पन्नों और खेल मैदानों की सामूहिक गतिविधियों से जोड़ना उनकी मानसिक व शारीरिक सेहत के लिए अनिवार्य है। मतदाताओं को लुभाने के लिए छात्रों को डिजिटल उपकरणों की रेवड़ियां बांटना तात्कालिक रूप से भले ही चुनावी लाभ दे दे, लेकिन यह राष्ट्र की आने वाली पीढ़ी की बौद्धिक क्षमता, कल्पनाशक्ति और तार्किक सामर्थ्य के साथ एक खतरनाक समझौता है। "प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट" (पीसा 2025) की रिपोर्ट एक चेतावनी की घंटी है-यदि हम अब भी नहीं संभले, तो हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर बैठेंगे जिसके हाथों में दुनिया के सबसे आधुनिक गैजेट्स होंगे, लेकिन उनका अपना मस्तिष्क पूरी तरह निष्क्रिय और पराश्रित होगा "प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट" (पीसा 2025) के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा में तकनीक का अनियंत्रित या केवल दिखावटी समावेश विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों को सुधारने के बजाय और बिगाड़ सकता है। भारतीय माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के धरातलीय क्रियान्वयन के लिए इस रिपोर्ट से 5 मुख्य व्यावहारिक सबक मिलते हैं:–

पीसा 2025 का निष्कर्ष यह है कि जिन व्यवस्थाओं ने बिना संरचित शिक्षण-पद्धति के केवल स्क्रीन, टैबलेट या कंप्यूटर बांटे, वहाँ विद्यार्थियों के गणित और पठन स्कोर में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के तहत स्मार्ट क्लासरूम या कंप्यूटर लैब स्थापित करना पहला कदम हो सकता है, अंतिम नहीं। पीसा 2025 का निष्कर्ष यह है कि एआई टूल्स का सीमित और मार्गदर्शित उपयोग करने वाले छात्रों ने उन छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया जो पूरी तरह एआई पर निर्भर थे।

"प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट" (पीसा 2025) के अनुसार जिन छात्रों की बुनियादी भाषा समझ और मूलभूत गणित कमजोर था, एआई ने उनकी सोचने की क्षमता को और पंगु बना दिया क्योंकि वे बुनियादी मानसिक कसरत से भी बचने लगे।

भारतीय संदर्भ: माध्यमिक स्तर पर एआई और कंप्यूटर शिक्षा तभी प्रभावी होगी जब छात्र की स्वयं पढ़ने, समझने और गणना करने की नींव पक्की हो। डिजिटल साधनों को सोचने का विकल्प नहीं, बल्कि सोच को विस्तार देने वाला साधन बनाया जाना चाहिए। पीसा 2025 का निष्कर्ष यह है कि सिंगापुर और एस्टोनिया जैसी शीर्ष शिक्षा प्रणालियों में तकनीक का प्रवेश ऊपर से थोपा नहीं गया, बल्कि शिक्षकों को पहले प्रशिक्षित कर उनके कार्यभार को सुगम बनाया गया।

भारतीय संदर्भ: भारत के सहायता प्राप्त एवं राजकीय विद्यालयों में सबसे बड़ी बाधा प्रशासनिक लालफीताशाही और शिक्षकों का पारंपरिक रवैया है। जब तक शिक्षकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं होगा और उनके मूल्यांकन में डिजिटल नवाचारों को महत्व नहीं मिलेगा, तब तक नीतिगत घोषणाएं ज़मीन पर नहीं उतर सकतीं। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट' (पीसा 2025) रटने की क्षमता नहीं, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में समस्या-समाधान को मापता है।

भारतीय संदर्भ: राज्य बोर्डों (जैसे यूपी बोर्ड) की वर्तमान परीक्षा प्रणाली तथ्यों को रटकर लिखने पर आधारित है। ऐसी परीक्षाओं में एआई केवल नकल या असाइनमेंट पूरा करने का औज़ार बन जाता है। जब तक बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न विश्लेषणात्मक, तार्किक और प्रयोगात्मक नहीं बनेंगे, तब तक छात्र एआई का उपयोग अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं करेंगे।

–प्रोफेसर अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय

भूमि अधिग्रहण से किसानों में हाहाकार

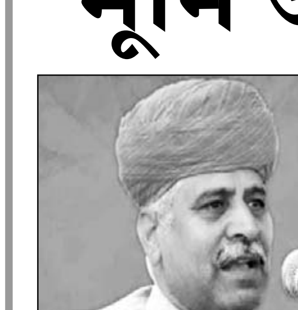

रामपाल जाट

चूरू, सीकर, अजमेर, कोटपूतली- बहरोड, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली भरतपुर, ब्यावर सहित राजस्थान के चौथाई भाग में भूमि अधिग्रहण की चिंताओं से किसानों में हाहाकार है। इन जिलों के अनेक किसानों की रात की नींद एवं दिन का चैन उड़ा हुआ है। ब्यावर जिले की तहसील मसूदा की ग्राम पंचायत नयागांव की डांग की ढाणी के परिवार का आनंद छीन लिया, मगरा विकास बोर्ड क्षेत्र के आनन्द पुत्र सुक्खा के परिवार में जीविकोपार्जन में कोई भी सदस्य सक्षम नहीं है। उसके पांच भाइयों के पास कुल दस बीघा कृषि भूमि है जिसमें से दो बीघा ही उसके पास है, उन पांच भाइयों की वृद्ध मां 75 वर्षीय है, उसके परिवार में चार बेटी दो बेटे हैं, जिनमें से दो बेटियां अपने-अपने ससुराल में है, दो बेटियां छोटी 6 एवं बड़ी 8 वर्ष की है, दो बेटों में से वयस्क मंदबुद्धि है, दूसरा अवयस्क है। भरतपुर-ब्यावर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत उसकी कृषि भूमि के अधिग्रहण के समाचार से वह अवसाद में आ गया, उसे कोई सहारा दिखाई नहीं दिया, इसी से उसने समय पूर्व अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसके परिवार वालों की कमजोर स्थिति को देखते हुए गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार रोक दिया तब उपखंड अधिकारी गांव में पहुंची, उसने पूर्व से चल रही सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया, ग्रामीण जनों ने उसके परिवार के पालनार्थ जिला कलेक्टर से उनके कार्यकाल में जाकर विनती की, किंतु जिला कलेक्टर ने इसे आत्महत्या का प्रकरण होने से किसी प्रकार की सहायता देना संभव नहीं बताया। देश में आत्महत्या करने वाले के आश्रित परिवारों के लिए सहायता देने की योजनाएं बनाई गई है, पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में आत्महत्या करने वाले किसानों को 10 लाख रुपए तक की सहायता दी गयी, जिसका एक उदाहरण दूदू तहसील के गांव उदयपुरिया के गणेश जावलिया के आश्रितों को दी गई आर्थिक सहायता है। इन दोनों प्रकरणों में इतना ही अंतर है कि दूदू में सहायता प्राप्त होने तक किसानों का धरना चल रहा था, किंतु आनंद के गांव में जागरूकता का अभाव एवं आर्थिक रूप से कमजोरी के कारण इस प्रकार का धरना आयोजित नहीं हो सका। इसलिए उसे किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। इस प्रकार के अनेक अन्य उदाहरण भी है।

संविधान में,लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होते हुए भी सरकार कानों में तेल डालकर बैठ गई। इस संबंध में राजस्थान के किसानों की ओर से किसान महापंचायत ने मुख्यमंत्री तक को पत्र भेजकर आठाह भी किया किंतु परिणाम ढाक के तीन पात जैसा ही रहा। सरकारों का दबाव के आधार पर ही सहायता उपलब्ध करने का स्वभाव बन गया, न्यायोचितता जैसे शब्द पुस्तकों की शोभा बढ़ाने तक ही सीमित रह गये।

देश में कृषि क्षेत्र प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है, इसके साथ ही देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका का आधार है। पिछले पांच वर्षों में भारत के कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में 8,38,000 हेक्टर की कमी हुई। इसी अवधि में राजस्थान में 31,000 हेक्टर कृषि भूमि में कमी आई। वर्तमान में देश की कृषि भूमि का औसत आकार 1.08 हेक्टर है। पारिवारिक बंटवारे के कारण यह आकार निरंतर घट रहा है। किसान परिवारों में कृषि भूमि को बचा कर रखना प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसलिए पेट के गांठ देकर भी किसानों की एक पीढ़ी ने कृषि भूमि में बढ़ोतरी को लक्ष्य पर रखा। इसी दिशा में उत्तम खेती की धारणा स्थापित हुई। देश की समृद्धि के लिए 'जन, जल, जमीन, जंगल,जानवर' आधार स्तंभ निरूपित किया गया। इसके विपरीत पाश्चात्य सभ्यता की चमचमाहट के अंधानुकरण के कारण सीमेंट, कंक्रीट, रोड़ी जैसे कार्यों को विकास स्वीकार कर लिया। इसके लिए विदेशी निवेश को साध्य समझ लिया। ये नीतियां पूंजीपतियों के लिए अनुकूल रहती हैं।

भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वेक्षण एवं "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" एवं उसकी क्रियान्वित के लिए राज्य में निर्मित "राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016" में विहित प्रक्रियाओं को पूर्ण कराने का कार्य कंपनियों को सौंपा जा रहा है। व्यवहार में ये कंपनियां शासन प्रशासन को अपने अनुसार चलाने में सफल प्रतीत हो रही है। उनके सीधे संबंध उच्च स्तर पर रहने के कारण वे जिला स्तर के अधिकारियों को आदेशित- निर्देशित करती रहती हैं। ईसरदा बांध के निर्माण के लिए खड़ी फसलों को चौपट कर मिट्टी लेने के लिए जिला प्रशासन टोंक ने किसानों को उनकी फसलों की क्षतिपूर्ति राशि चुकाने का विश्वास दिलाया था, किसानों ने तो अपने वचन को पूरा किया किंतु कंपनी वह मूल्य चुकाने से पीछे हट गई, जिला प्रशासन कंपनी के सामने असहाय बन गया, किसानों को अपनी फसलों के मूल्य से वंचित रहना पड़ा, सामान्यतया कंपनियों की इस प्रकार की ही कार्यप्रणाली है। इसी का परिणाम है कि पारदर्शिता के अधिकार को पीछे धकेलते हुए अधिग्रहण की कार्यवाही दुराव -छिपाव के आधार पर औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए की जा रही है। कृषि जोतों का आकार छोटा होने के कारण किसान परिवार विस्थापित होकर उजड़ने की स्थिति मे होने पर भी विस्थापन नहीं माना जा रहा है। किसानों द्वारा किए जाने वाले विरोध का संज्ञान भी नहीं लिया जा रहा है। अधिठाहण के संबंध में सामाजिक प्रभाव के अध्ययन से स्वतंत्र निकाय बहु-शाखीय विशेषज्ञता प्राप्त समूह को पंगु बना रखा है। यमुना जल संग्रहण के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध होते हुए भी चुरू जिले के हासियावास बांध के लिए आठ गांवों की कृषि भूमियों का अधिग्रहण किया जा रहा है। हरियाणा के हथिनी कुंड से चुरू जिले के हासियावास तक पाइपलाइन की लंबाई 295 किलोमीटर आकलित की गई है।

भरतपुर जिले के बंध बरेठा तक पानी पहुंचाने के लिए 189 किलोमीटर लंबी ईसरदा बांध से खुली नहर के लिए सवाईमाधोपुर, दौसा, टोंक, करौली, भरतपुर पांच जिलों में 13 तहसीलों के सौ गांवों की 11,404 बीघा कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। बंध बरेठा में पानी की आवक गंभीर नदी से होती आई है, ईसरदा बांध से गंभीर नदी को जोड़ने से प्राकृतिक बहाव का उपयोग भी श्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। इस उच्च प्रौद्योगिकी समय में पाइपलाइन द्वारा पानी पहुंचाने के विकल्प का चयन नहीं करना आश्चर्यजनक है। यह स्थिति तो तब है जब अन्य अनेक योजनाओं के साथ यमुना नदी के हथिनी कुंड से चूरू के हासियावास तक पानी पाइप लाइन के द्वारा पहुंचाने के लिए योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। ये दोहरे मापदंड भेदभाव एवं पक्षपात का प्रतीक है। इसी प्रकार की स्थिति "कोटपूतली से किशनगढ़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे" की है, जहां समानांतर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 की सड़क तथा रेल मार्ग होते हुए भी भूमि अधिग्रहण के प्रयास किये जा रहे हैं। कमोवेश ऐसी स्थिति 'भरतपुर ब्यावर भारतमाला परियोजना' की है। ऐसी परियोजनाओं में प्रभावी व्यक्तियों की भूमियों को बचाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर एवं शासन प्रशासन तक पहुंच से विरत असहायों की आजीविका छीनना सरकारों की नियति बन चुकी है। इन परियोजनाओं पर होने वाला भारी भरकम व्यय राजनेता, अधिकारी तंत्र एवं धनपतियों के लिए आकर्षक बना हुआ है। वे येन-केन प्रकारेण अपनी पूंजी में बढ़ोतरी के लिए लोक प्रयोजन के नाम पर इस प्रकार के खेल खेलते रहते हैं। इसीलिए जनता की ओर से इस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकताओं का आग्रह नहीं होते भी जनता की मांग के नाम पर उनकी आवश्यकता प्रतिपादित करने में अपने प्रभाव एवं धन शक्ति का उपयोग करते रहते हैं। भारतीय संविधान की अवधारणा के अनुसार बनी लोक कल्याणकारी सरकारों के द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। जन भावनाओं के आधार पर योजनाएं तैयार करने का मंतव्य सरकारों की कार्यप्रणाली से गधे के सिर पर सींगों की भांति लुप्त हो रहा है। यह लोक के विचार हेतु गंभीर विषय है। इसी से ही तंत्र से रक्षा संभव है।

–रामपाल जाट,
जाट-राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत

क्या लोभी, लालची, भ्रष्ट, सनकी शासकों द्वारा युद्धों के द्वारा की जा जा रही हत्याओं की रोक का कोई रास्ता है?

महावीर सिंह

आज विश्व में अनेक स्थानों पर राज्यों द्वारा अथवा हथियार बंद तथाकथित राज्यों में हथियार बंद विद्रोही गुटों द्वारा अथवा निखालस आतंकी गुटों द्वारा निर्दोष मनुष्यों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। पहला विचारणीय प्रश्न तो सबके सामने है यह कि जब सारे संसार में अनेकानेक धर्माचार्यों के रात और दिन प्रवचन,ईश वंदना के कार्यकर्म चलते रहते है तो क्या यह लोग ईश्वर से प्रार्थना कर इस चहुंओर फैली निरर्थक मारकाट को रुकवा नहीं सकते? विश्व का इतिहास गवाह है, अभी तक किसी संत महात्मा,गुरु आदि के कहने से कोई राज्यों के या गुटों के संघर्ष रुके नहीं। क्या अब समय नहीं आगया कि इन सब धर्माचार्यों आदि को एक संयुक्त प्रार्थना पत्र अल्लाह, ईश्वर, गोड आदि विभिन्न नामों से जाने वाले भगवान को नहीं देनी चाहिए कि बहुत होगया वे यह निर्दोषों का रक्तपात रोके! एक परम शंकालु मित्र ने मेरे से पूछा कि कहीं वह उपरवाला ही तो यह सब नहीं करवा रहा, जनसंख्या कम करने के लिए? साथ चलने वाले दूसरे ने कहा तो फिर इतने सारे लोग इस बेचारी धरती पर, जिसे जो चाहे वैसे जख्मी कर रहा है, उन्हें भेजता ही नहीं। मनुष्यों को पृथ्वी पर भेजकर फिर दुष्ट राजाओं, गैंगस्टरों, आतंकवादियों से निर्दोषों का भीषण रक्तपात करवाए, तो फिर काहे का गोड-? लेकिन नंगन सत्य यह है कि विभिन्न राज्यों के राज्याध्यक्ष, राजा आदि को मात्र अपने ईर्दगिर्द के 100, 200, 500 लोगों की परवाह है। वे केवल उन्हीं के लोभ, हितों के संरक्षक है जो उनकी इच्छानुसार हर प्रकार की सेवा, नृत्य करने को तैयार रहते है। कुछ लोगों का खनिज तेल स्त्रोतों पर, कुछ लोगों का दुर्लभ खनिजों पर, कुछ लोगों का विभिन्न वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिकार और कुछ लोगों का अधिकाधिक नए नए अस्त्र, शस्त्र बनाकर उनके लिए नए नए बाजार बनाना विश्व में नरसंहार के सबसे ऊपर प्रमुख कारण है। ऐसे लोगों के संरक्षक मात्र हैं यह आज के सनकी, निर्दयी राजा आदि। वैसे विश्व इतिहास इस बात का भी गवाह है कि ऐसे सनकी, निर्दयी, भ्रष्ट राजाओं का भी अंत होता ही होता है, या तो,जनता कर देती है या नियति कर देती है।

बात यह भी साफ है कि आज इस प्रकार के घमंडी, सनकी, भ्रष्ट राजाओं पर अंकुश या सलाह देने के लिए कोई प्रभावी विश्व संगठन नहीं है। यूएनओ, उसकी सुरक्षा परिषद सब बेकार साबित हो चुकी, इन पूर्णतः अनावश्यक युद्धों को रोकने में।

–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस